



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2011/ज्येष्ठ 4, 1933

No. 268]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2011/JYAISTHA 4, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2011

सा.का.नि. 401(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेंगलूर मेट्रो रेल (कदाचार अन्वेषण प्रक्रिया या दावा आयुक्त की असमर्थता) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;

(ख) "दावा आयुक्त" से अधिनियम की धारा 48 के अधीन नियुक्त दावा आयुक्त अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(घ) "न्यायाधीश" से नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त किया गया भारत के उच्चतम न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

2. उन शब्दों और पदों के, जो इस नियम में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु इसमें परिभाषित नहीं हैं और जो मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में हैं।

3. परिवारों की अन्वेषण संबंधी समिति : (1) केन्द्रीय सरकार, दावा आयुक्त के संबंध में कदाचार या उसके संबंध में पद के कृत्यों का पालन करने में असमर्थता के किन्हीं निश्चित आरोपों का अभिकथन करने वाली शिकायत प्राप्त हो जाने पर, ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।

2. यदि, केन्द्रीय सरकार प्रारंभिक संवीक्षा किए जाने पर अभिकथन का अन्वेषण करना आवश्यक समझती है तो वह उस समर्थनकारी सामग्री, जो उपलब्ध हो, के साथ शिकायत, को शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी समिति के समक्ष रखेगी, अर्थात् :--

- | | | |
|-------|--|---------|
| (i) | सचिव (समन्वय और जन शिकायत मंत्रिमंडल सचिवालय - | अध्यक्ष |
| (ii) | सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, | - सदस्य |
| (iii) | सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय | - सदस्य |

(3) समिति अन्वेषण की अपनी ही प्रक्रिया और पद्धति तैयार करेगी जिसमें शिकायतकर्ता के साक्ष्य का अभिलेखन और उस जांच से सुसंगत सामग्री का संग्रहण भी सम्मिलित हो सकेगा, जो इन नियमों के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाए।

(4) समिति ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथासंभव शीघ्र केन्द्रीय सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।

4. न्यायाधीश द्वारा जांच किया जाना-(1) यदि, केन्द्रीय सरकार, की यह राय है कि दावा आयुक्त के कदाचार या उसकी असमर्थता के किसी लांछन की सत्यता की जांच करने के लिए

युक्तियुक्त आधार हैं तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश नामित करने के लिए यह अनुरोध करेगा कि वह कि वह एक निर्देश करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा जांच करने के प्रयोजन के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश कहा गया है) द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करेगा ।

(3) उप नियम (2) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना दावा आयुक्त को दी जाएगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की एक प्रति न्यायाधीश को अग्रेषित करेगा :—

(क) संबद्ध दावा आयुक्त के विरुद्ध आरोपों की मर्दे तथा लांछन का कथन

(ख) साक्षियों का कथन, यदि कोई हो ; और

(ग) जांच से सुसंगत तात्त्विक दस्तावेज

(5) न्यायाधीश ऐसे समय या अतिरिक्त समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच को पूरा करेगा ।

(6) संबद्ध दावा आयुक्त को ऐसे समय के भीतर, जो न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए प्रतिरक्षा को लिखित कथन को प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(7) यहां यह अभिकथन किया जाता है कि दावा आयुक्त किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पद के कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है और अभिकथन का प्रत्याख्यान किया जाता है तो वहां न्यायाधीश ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, दावा आयुक्त की चिकित्सीय परीक्षा कराने की व्यवस्था कर सकेगा और संबंधित दावा आयुक्त न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर चिकित्सीय परीक्षा के लिए ऐसे चिकित्सा बोर्ड के समक्ष स्वयं पेश होगा ।

(8) चिकित्सा बोर्ड दावा आयुक्त की ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करेगा जो आवश्यक समझी जाए और उसमें यह कथन करते हुए न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या असर्थता इस प्रकार की है जो दावा आयुक्त को पद पर बने रहने के लिए आयोग्य बनाती हैं

(9) यदि दावा आयुक्त ऐसी चिकित्सीय परीक्षा, जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए, कराने के लिए इंकार करता है, तो बोर्ड, न्यायाधीश को एक रिपोर्ट उसमें ऐसी परीक्षा का कथन करते हुए प्रस्तुत करेगा जिसे कराने से दावा आयुक्त ने इंकार कर दिया है और न्यायाधीश ऐसे रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर यह उपधारणा कर सकेगा कि दावा आयुक्त ऐसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से ग्रस्त हैं जिसका शिकायत में अभिकथन किया गया है।

(10) न्यायाधीश, दावा आयुक्त के लिखित कथन और चिकित्सा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उपनियम (4) के खंड (क) से निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन कर सकेगा और ऐसे मामलों में, दावा आयुक्त को प्रतिस्क्षा का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(11) केन्द्रीय सरकार, दावा आयुक्त के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए इस सरकार के किसी अधिकारी या किसी अधिवक्ता को नियुक्त करेगा

(12) जहां केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधीश के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त किया है वहां, दावा आयुक्त को उसके द्वारा चुने गए अधिवक्ता द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

5. जांच रिपोर्ट : अन्वेषण के समाप्त हो जाने के पश्चात् न्यायाधीश केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें संपूर्ण मामले पर ऐसे संप्रेक्षणों सहित, जो वह ठीक समझें, पृथक रूप से आरोप की हर एक मद पर उसके निष्कर्षों और कारणों का कथन होगा।

6. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों से आबद्धकर न होना, - नियम 4 के अधीन जांच करते समय, न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्धकर नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और अपनी स्वयं की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी जांच के स्थान और समय भी हैं, को विनियमित करने की शक्ति होगी।

7. दावा आयुक्त का निलंबन : नियम 4 में, किसी बात के होते हुए और उक्त नियम के अनुसार की जा रही किसी कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस दावा आयुक्त को निलंबित कर सकेगी जिसके विरुद्ध शिकायत का अन्वेषण किया जा रहा है या जांच की जा रही है।

8. जीवन निर्वाह भत्ता : निलंबनाधीन दावा आयुक्त को जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले भारत सरकार के किसी अधिकारी को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

[फा. सं. के-14011/45/2010-मेट्रो]

एस. के. लोहिया, ओएसडी (शहरी परिवहन) और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2011

G.S.R. 401(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 56 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Bangalore Metro Railway (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "Claims Commissioner" means the Claims Commissioner appointed under section 48 of the Act;

(c) "section" means a section of the Act;

(d) "Judge" means the sitting or retired judge of the Supreme Court of India appointed for conducting the inquiry under sub-rule (3) of rule 3.

(2) The words and expressions used in this rule but not defined herein and defined in the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) shall have the meanings, respectively, assigned to them in that Act.

3. **Committee for investigation of complaints.**—(1) The Central Government, on receipt of a complaint alleging any definite charges of

1886 GI/11-2

misbehaviour in respect of, or incapacity to perform the functions of the office in respect of, the Claims Commissioner, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material as may be available before a Committee consisting of the following persons to investigate the charges of allegations made in the complaint namely:-

(i) Secretary (Co-ordination and Public Grievances)

Cabinet Secretariat

- Chairman;

(ii) Secretary, Ministry of Urban Development

Member;

(iii) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry

of Law and Justice

- Member.

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court of India under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the Central Government as early as possible within, a period that may be specified by the Central Government in this behalf.

4. **Judge to conduct inquiry.**- (1) If the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of the Claims Commissioner, it shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The Central Government shall by order appoint the judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India (hereinafter referred to as Judge) for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Claims Commissioner.

(4) The Central Government shall forward to the Judge a copy of-

- (a) the articles of charges against the Claims Commissioner concerned and the statement of imputation;
 - (b) the statement of witnesses, if any; and
 - (c) material documents relevant to the inquiry.
- (5) The Judge shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the Central Government.
- (6) The Claims Commissioner concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may specified in this behalf by the Judge.
- (7) Where it is alleged that the Claims Commissioner is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Claims Commissioner by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the Central Government and the Claims Commissioner concerned shall submit himself to such Medical Board for medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.
- (8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Claims Commissioner as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Claims Commissioner unfit to continue in office.
- (9) If the Claims Commissioner refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Claims Commissioner has refused to undergo and the Judge may on receipt of such report presume that the Claims Commissioner suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.
- (10) The Judge may, after considering the written statement of the Claims Commissioner and the medical report, if any, amend the charges referred to in clause (a) to sub-rule (4) and in such a case the Claims Commissioner shall be give a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or any advocate to present the case against the Claims Commissioner.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Claims Commissioner shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

5. **Inquiry report.-** After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the Central Government stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charge separately with such observations on the whole case as he thinks fit.
6. **Provisions of Civil Procedure Code not binding.-** The Judge, while conducting an inquiry under rule 4, shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his enquiry.
7. **Suspension of Claims' Commissioner.-** Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the Central Government, keeping in view the gravity of charges may suspend the Claims Commissioner against whom a complaint is under investigation or inquiry.
8. **Subsistence allowance.-** The payment of subsistence allowance to the Claims Commissioner under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India drawing an equivalent pay.

[F. No. K-14011/45/2010-Metro]

S. K. LOHIA, OSD (Urban Transport) & E.O. Jt. Secy.